



## प्रेस नोट

**जनपद-हापुड**

**दिनांक 07-03-2023**

**जनपद हापुड के थानों पर लंबित 798 मुकदमाती मालों का निस्तारण।**

### कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड के आदेशानुसार जनपद में माल निस्तारण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड नगर, हापुड देहात, पिलखुवा, बाबूगढ, बहादुरगढ हाफिजपुर पर पंजीकृत मुकदमों से संबंधित माल को मा0 न्यायालय से निर्णित होने के उपरांत मा0 न्यायालय से अनुमति के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा कमेटियों का गठन किया गया। आज दिनांक 07.



03.2023 को समस्त क्षेत्राधिकारियों व उपजिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गठित कमेटियों के समक्ष थाना प्रांगण में आबकारी अधिनियम से संबंधित माल/शराब को गड्ढा खुदवाकर व जलाकर नष्ट किया गया तथा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, विस्फोटक पदार्थ आदि से संबंधित माल को भी नष्ट किया गया।

### नष्ट किये गये माल का थानावार विवरण:-

#### थाना हापुड नगर:-

1. 5 हजार लीटर शराब।
2. करीब एक ट्रॉली विस्फोटक सामग्री।

#### थाना हापुड देहात:-

1. 281 तमंचे व चाकू।
2. 1050लीटर शराब।
3. 450 ग्राम स्मैक,8किलो डोडा व गांजा,250 नशीली गोली

### थाना हाफिजपुर:-

1. 36 तमंचे व चाकू।
2. 500 लीटर शराब।
3. 500ग्राम अफीम।
4. चार मुकदमों से सम्बन्धित लाठी-डण्डे।

### थाना बहादुरगढ:-

1. 420 लीटर शराब।
2. 02 किलो मादक पदार्थ।
3. 06 कुंटल लकडी।

### थाना बाबूगढ:-

1. 15 हजार लीटर देशी शराब।
2. 150 पेटी अंगेजी/देशी शराब।
3. 110 तमंचे व चाकू।

### थाना पिलखुवा:-

1. 44 तमंचे व चाकू।
2. 5 किलो मादक पदार्थ डोडा, 25 ग्राम स्मैक, 40 नशीली गोली

नोट:- उल्लेखनीय है कि कुल 798 माल मुकदमाती (कुल 23,320 लीटर शराब, 471 तमंचे व चाकू, 16 किलोग्राम मादक पदार्थ, 290 नशीली गोलियां व करीब 01 ट्रॉली विस्फोटक सामग्री आदि माल) को नियमानुसार तोड फोड कर गडढा खोदकर आग लगाकर नष्ट किया गया। समस्त नष्ट माल की विडियोग्राफी की गयी।

.....